An hon. Member: Has the Minister read it?

Mr. Speaker: There is a supplementary coming as to whether the Minister has read this book.

Shri L. N. Mishra: I have read a part of it and not the whole of it. (Interruption).

Mr. Speaker: The Members are very inquisitive to know whether he has got it and whether he can lend that book to them.

भी ल॰ ना॰ मिश्रः मंत्रालय में यह किताव हमारे पास है भौर ग्रगर जरूरत हो को मैं उसे दे सकता हूं।

भी काकी राम गुरत : मंत्री महोदय ने बतलाया कि विधि मंत्रालय के मुझाव के धाधार पर उन्होंने इस पुस्तक को प्रोस-काइव नहीं किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सरकारी पुस्तकालयों में इस पुस्तक को रखने की इजाजत थी है।

भी स० ना० विश्वः यह साधारण वात है कि इसको जब्त नहीं किया गया है। उसको रखना ग़ैर-कानूनी वात नहीं है। इसको साप कहीं भी रख सकते हैं।

भी काशी राज पुरतः मैं जानना चाहता हुंकि सरकारी पुस्तकालयों में वह पुस्तक रखी गई हैया नहीं। इस का मंत्री महोदय मे उत्तर नहीं दिया।

थी स॰ ना॰ मिश्राः मैं कहता हूं कि कहीं भी यह किताब रह सकती है। सरकारी पुस्तकासयों में भी रखी जा सकती है।

जन्मक महोदय : माननीय सदस्य बानना बाहते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने इस किताब को सरकारी पुस्तकासयों में रखने के निवे कोई हुक्म दिया है।

बी ल॰ ना० विश्वः जी नहीं, मेरा क्वल है कि हम ने किसी को झादेश नहीं दिया कि इस पुस्तक को पढ़ने के लिये कोई प्रोत्साहन दिया जाये।

बीमती जयाबेन शाह : मैं जानना चाहती हूं कि इस किताब के बारे में गवर्न-मेंट की धपनी क्या राय है। क्या वह किताब को बैन करने लायक समझते हैं या नहीं या सिर्फ विधि मंत्रालय की सूचना के धनसार चल रहे हैं?

बी ला॰ ता॰ मिकाः हम ने जांच करवाई बी भौर इस में बहुत सी ऐसी बातें हैं बो कि सही नहीं हैं। फिर भी जो कानून है उस के भन्तर्गत कोई चीज नहीं भाषी है। उसे हम प्रोसकाइब नहीं कर सकते। हम इतना ही कर सकते हैं कि लोग उसे पढ़े नहीं भौर इसके लिये उन्हें कोई उत्साह न मिले।

Shri Hari Vishnu Kamath: May I request that question No. 591 may also be taken up along with question No. 570?

Mr. Speaker: If it is convenient, the Minister might answer both.

मच-निवेध

*570. भी मगदेव सिंह सिद्धान्ती :
भी प्रकाशवीर शास्त्री :
भी विश्वनाथ पाण्डेय :
भी सुबोध हंसदा:
भी सुबेध हंसदा:
भी मुख्या :
भी प्रकाश वर्षणा :
भी प्रकाश वर्षणा :
भी प्रकाश वर्षणा :
भी विश्वणा रही :

क्या गृह-कार्य मंत्री 1 धगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मश-निषेष्ठ जांच समिति के प्रतिबेदन पर धनी तक किन-किन राज्यों की राय प्राप्त नहीं हुई है;

- (खा) क्या राज्य सरकारों से शीध्य भ्रपनी राय देने के लिये कहा गया है; भ्रौर
- (ग) इस सम्बन्ध में श्रन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री सवा प्रतिरक्षा मंत्रालय में संभरण मंत्री (बी हाषी) : (क) मध-निषेध जांच समिति के प्रतिवेदन पर प्रभी दो राज्य सरकारों की राय की प्रतीक्षा है।

- (ख) जी, हां।
- (ग) यथाजी घ्र किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयत्न किया जा रहा है।

Prohibition Policy

*591. Shri Hari Vishnu Kamath: Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 144 on the 10th November, 1965 and state what advice or direction has been given by the Central Government in regard to prohibition to each of the States in view of the fact that the State Governments are not free to scrap or modify the policy of prohibition with a view to augmenting their financial resources?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): No direction has been given to the State Governments in regard to prohibition. This question was discussed with the Chief Ministers of States in January 1964 and there was general agreement that the status quo should be maintained in regard to prohibition pending consideration of the Report of the Study Team on Prohibition.

भी जगसेव सिंह सिद्धाल्सी: जस्टिस टेक पस्ट की ध्रष्टपक्षता में जो मद्य-निवेध जांच समिति बनाई गई थी उस ने यह सुझाव दिगा था कि सारे राष्ट्र में पूर्ण मधा निवेध किया जाये। तो क्या सरकार बतलायेगी कि इस सुझाव को मानने में सरकार को क्या फठिनाई है।

- श्री हाथी: हम ने इस रिपोर्ट की नकल को सब राज्यों को भेजा था। उन में से 11 राज्यों का जबाब आ गया है। श्रीर स्टेट्स का जबाब आना बाकी है। उस के आने के बाद हम चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेन्स करेंगे। उस में इस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे श्रीर उस के बाद निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिये इस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में।
- श्री जगवेच सिंह सिद्धान्ती: क्या सरकार यह बतलायेगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पण्चात् मद्यपान बढ़ा हैया घटा है। अगर बढा हैतो क्यों?
- श्री हाथी: ग्रनग-ग्रनग राज्यों में भ्रनग मनग बात हुई है। कहीं बढ़ा है भ्रीर कहीं कम भी हुमा है।
- भी जगदेव सिंह सिद्धाल्ती: ग्रौसत बतला दिया जाये कि सारे भारत में बढ़ा या घटा।
- श्री हाथी: इस के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि कहीं कहीं यह बढ़ा भी है।
- Shri S. C. Samanta: May I know whether some interim steps have been taken by the Central Government pending the decision to be taken after consultation with the State Governments and, if so, what are they?

Shri Hathi: There is no question of taking interim steps because the Tek Chand Committee's report is divided into two parts—steps to be taken in dry areas and steps to be taken in wet areas; certain steps which they have suggested, for instance, tightening of laws, could not be taken partially; they have to be taken simultaneously after the detailed consideration of the report. Therefore, no interim steps have been taken.